कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांकः–जिशिअ/मा/टोंक/संस्था–1/शा.शि. नियु./2017/ 1493 दिनांकः– 26.04.2017

–:कार्यालय आदेश :–

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक – शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि. ग्रेड–III/सी.भ./2013–16 दिनांक 13.04.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद हेतु भर्ती परीक्षा–2013 में आरक्षित सूची में अंकित विवरणानुसार अभिप्रस्तावित किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संलग्न कर निम्नानुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थान किया जाता है।

सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें –

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.024.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच कार्यवाही विभाग स्तर पर की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की गई है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन. सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति की गई है तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उनका मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित /प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरांत ही उन्हें कार्यग्रहण की कार्यवाही करें।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ

प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करें।

8. धौलपुर / भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक(क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक / क–2 / 2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्लूए 6048 / 99 रतन लाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने सम्बन्धी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। यदि धौलपुर / भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित है एवं नियुक्ति प्रदान की गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटाया जावे।
9. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी. 2,(9300–34800)ग्रेड पे–3600 में प्रोबेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार फिक्स नियत वेतन 13200 / – पर नियुक्ति दी जाती है।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
11. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा–2 / 2009 दिनांक 29.03.2016 के पार्ट बी में वर्णित निर्देश संख्या 1 से 9 के अनुसार पूर्व में आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर की गई है।
12. यह नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
13. कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों का जांच आवश्यक रूप से करें।
14. कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वार प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
15. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3) कार्मिक / क–2 / 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
16. अभ्यर्थियों को नियुक्ति / पदस्थापन स्थान पर दिनांक 08.05.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

संलग्न :– सूची संख्या 01

(मनमोहन शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,टोंक
दिनांकः– 26.04.2017

क्रमांकः–जिशिअ / मा / टोंक / संस्था–1 / शा.शि. नियु. / 2017 / 1494-1498
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान ....को भेज कर लेख है कि अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
6. कार्यालय प्रति।

(मनमोहन शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांकः–जिशिअ / मा / टोंक / संस्था–1 / शा.शि. नियु. / 2017 / 1493-98 दिनांकः– 26.04.2017

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–3 की पदस्थापन सूची संख्या 01

क्र.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान राउमावि / मावि
1	R-308	NEELU RATHORE	KISHORE SINGH RATHORE	GE, WE	प्लाट न. 194, मेहन्सर हाउस, ए.के. गोयल नगर, लाल मंदिर के पास खातीपुरा, जयपुर	27/07/1981	GENF	सोरण
2	R-1380	KAMINEE PARIHAR	PRAKASH CHANDRA	SC,WE	दमामियों का बास, देवली कलां,वाया चण्डावल नगर तह. रायपुर जिला–पाली	12/08/1988	SCF	मोरला
3	R-2	SARFARAZ KHAN	ATIQULLAH KHAN	GE	कचेहरी खातियों का धेर, पाली पलटन टोंक	10/01/1981	GENM	मण्डावर
4	R-23	KAMAL KISHORE SHARMA	MOHAN LAL SHARMA	GE	ग्राम पो. बेगस वाया बगरू जिला–जयपुर	29/12/1982	GENM	कड़ीला
5	R-24	KHEEM SINGH	POORAN SHINGH	GE	प्लॉट न. 19 श्याम विहार कालोनी नंदपुरी मोरी के पास मालवीय नगर जयपुर	09/08/1989	GENM	रिण्डलिया रामपुरा
6	R-27	ANANT KUMAR SHARMA	SATYA NARAYAN SHARMA	GE	वैधजी की गली बह्म अखाड़ा वार्ड न. 11 टोडारायसिंह जिला टोंक	06/09/1979	GENM	बासेड़ा
7	R-38	ATUL KUMAR CHOTIYA	RISHI RAJ CHOTIYA	GE	मु पो. प्राणहेड़ा तह. केकड़ी जिला अजमेर	22/12/1991	GENM	थॉवला
8	R-46	SYED AQIB NAQVI	ARIF ALI NAQVI	GE	मोतीबाग पाल पायगा गली टोंक	16/03/1993	GENM	रूपवास
9	R-883	PANKAJ KUMAR	RADHEY SHYAM KHANGAR	SC	गांव पों. कलमण्डा तह. मालपुरा वाया अविका नगर जिला टोंक	02/01/1984	SCM	झाड़ली
10	R-1135	NARENDRA KUMAR MEENA	JAGANNATH MEENA	ST	ग्राम नयागांव उर्फ रामपुरिया पो. अमरपुरा वाया–सुल्तानपुर त. दीगोद जिला कोटा	01/01/1985	STM	पायगा
11	R-1148	RAMRAJ MEENA	HAJARI LAL MEENA	ST	ग्राम पो. एवं तह. बामनवास पट्टीकलां थाना रोड़ जिला सवाईमाधोपुर	20/05/1986	STM	खोहल्या
12	R-1152	JODHRAJ MEENA	RAMKISHAN MEENA	ST	ग्राम झरबालापुरा पो. नयागांव तह. व जिला बून्दी	05/07/1982	STM	रामसागर

26.4.17

(मनमोहन शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक